हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977

धाराओं का क्रम

धाराएं:

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

अध्याय–2

परिषद् का गठन, पदाधिकारियों की नियुक्ति और विनियमों का बनाया जाना

3. हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण परिषद् का गठन।

4. सदस्यों का निर्वाचन।

5. सदस्यों की पदावधि।

6. रिक्तियां।

7. सदस्य का हटाया जाना।

8. आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी।

9. रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

10. निर्हताएं।

11. उपाध्यक्ष की पदावधि।

12. परिषद् की बैठक का समय और स्थान।

13. गणपूर्ति।

14. परिषद् की बैठकों में कार्यवाहियां।

15. रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

16. रजिस्ट्रार के कर्तव्य।

17. विनियम बनाने की शक्ति।

अध्याय–3

नर्सों, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफों, नर्स दाई, सहायक नर्स मिडवाईफ, प्रशिक्षित दाई और दाईयों का रजिस्ट्रीकरण

18. नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाइफ, नर्स दाई, सहायक नर्स मिडवाईफ, प्रशिक्षित दाई और दाईयों का रजिस्ट्रीकरण।

19. परिषद् की समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

20. रजिस्टर रखना।

21. नर्स, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स,दाई और दाईयों की वार्षिक सूची।

22. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

23. उप–विधि बनाने की शक्ति।

24. उप–विधि की पुष्टि और प्रकाशन।

25. इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा।

26. इस अधिनियम के उपबन्धों से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को छूट।

27. आदेशों या रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रतियां जारी करने की फीस।

28. परिपद् द्वारा प्राप्त फीस का उपयोजन।

29. बेईमानी से प्रमाण–पत्रों आदि के उपयोग के लिए शास्ति।

30. विधि विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत नर्स, हेल्प विजिटर, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई का पदनाम धारण करने के लिए शास्ति।

31. अधिनियम के अधीन अभियोजन का वर्जन।

32. अनुसुची को संशोधित करने की शक्ति।

33. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

34. निरसन और व्यावृत्तियां।

अनुसूची ।

हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977

(1978 का अधिनियम संख्यांक 15)[1]

(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 1998 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 29 मई, 1998 को पृष्ठ संख्या 1951 से 1968 पर प्रकाशित किया गया।)

हिमाचल प्रदेश में नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ सहायक नर्स मिडवाईफ और दाईयों के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावितः–

(i) 2002[2] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 जिसे महामहिम राज्यपाल द्वारा 25 अक्तूबर, 2002 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 28 अक्तूबर, 2002 को पृष्ठ संख्या 2079 से 2082 पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में प्रकाशित किया गया।

(ii) 2012[3] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 जिसे महामहिम राज्यपाल द्वारा 21 मई, 2012 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 26 मई, 2012 को पृष्ठ संख्या 1346 और 1347 पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के अठाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमति हो :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977 है।

———————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 30 अप्रैल, 1998 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 29 मई, 1998 को पृष्ठ संख्या 1953 से 1968 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।
2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 28 अगस्त, 2002 पृष्ठ संख्या 1504 और 1507 देखें।
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 06 अप्रैल, 2012 पृष्ठ संख्या 218 और 219 देखें।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में. अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं**.– इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,–

(क) "सहायक नर्स मिडवाइफ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने इस निमित्त परिषद् द्वारा विहित परीक्षा पास की हो;

(ख) "उपविधि" से धारा 32 या धारा 23 के अधीन बनाई गई उप–विधि अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रकरण परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "दाई" से ऐसा व्यक्ति चाहे उसकी मिडवाईफरी आनुवंशिक उपजीविका रही हो या नहीं जो साधारणतया अभिलाभ के लिए मिडवाईफरी का व्यवसाय करता है और जिसने परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मिडवाईफरी में, परीक्षाओं में से कोई परीक्षा पास न की हो अभिप्रेत है;

(ङ) "हेल्थविजिटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने धारा 18 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी हैल्थ स्कूल संस्थान या परीक्षण निकाय से हैल्य विजिस्टर का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किया हो;

(च) "मिडवाईफ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या परीक्षण निकाय से मिडवाईफरी का डिप्लोमा अभिप्राप्त किया हो या जो धारा 18 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया होः

(छ) "नर्स" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से नर्स का प्रमाणपत्र हो या जो धारा 18 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(ज) "नर्स दाई" से ऐसी प्रशिक्षित दाई अभिप्रेत है जिसने पंजाब नर्सज रजिस्ट्रेशन काउनसिल द्वारा विहित नर्स की परीक्षा पास की हो या उक्त काउनसिल में रजिस्ट्रीकृत हो और जिसका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 से अधीन हिमाचल प्रदेश में विलीन राज्य क्षेत्र के सन्दर्भ में रजिस्ट्रीकरण, उक्त काउनसिल से अन्तरित किया गया हो;

(झ) "रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्ट्रीकृत" से धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रार" से धारा 15 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ठ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की धारा 3 द्वारा या विनिर्दिष्ट और अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा या भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियन, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अथवा किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में विनिर्दिष्ट या जो औषधियों की किसी पद्वति में व्यवसायरत है और किसी भी नाम से किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत है;

(ड) "विनियमों" से धारा 17 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) "नियम" से धारा 33 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "प्रतिक्षित दाई" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे परिषद् द्वारा बनाई गई उप–विधियों के अधीन प्रमाण–पत्र दिया गया हो या जिसे धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(त) "अरजिस्ट्रीकृत" से ऐसा व्यक्ति जो धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो, अभिप्रेत है।

अध्याय–2

परिषद् का गठन, पदाधिकारियों की नियुक्ति और विनियमों का बनाया जाना

3. **हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण परिषद का गठन.**– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए "हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण परिषद्" के नाम से एक परिषद् की स्थापना और गठन किया जाएगा।

(2) परिषद् था गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा, अर्थात्:–

(क) [1]{निदेशक, चिकित्सा शिक्षा} हिमाचल प्रदेश;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आठ सदस्य, जिनमें से एक अस्पतालों जिनमें परिषद् द्वारा संचालित किन्हीं परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है का नर्सिंग अधीक्षक होगा;

(ग) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नर्सों द्वारा निर्वाचित की जाने वाली दो नर्सें;

(घ) एक रजिस्ट्रीकृत वरिष्ठतम हैल्थ विजिटर;

---

1. 2002 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा शब्द "निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं" के लिए प्रतिस्थापित किए गए।

(ङ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफों द्वारा निर्वाचित की जाने वाली एक रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफः

परन्तु यदि रिक्ति या रिक्तियां होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत नर्स या रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटर या रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ, ऐसी अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे, सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार, ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत नर्स, हैल्थ विजिटर, या रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ की नियुक्ति करके भर सकेगीः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार खण्ड (ख) से खण्ड (घ) तक में यथा निर्दिष्ट व्यक्तियों में से, जो अपने–अपने रजिस्टरों में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है, प्रथम परिषद् में सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति ऐसी अवधि जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के लिए पदधारण करेंगे।

(3) परिषद् पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) [1]{निदेशक, चिकित्सा शिक्षा}, हिमाचल प्रदेश परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष का निर्वाचन उसकी पहली बैठक में इसके सदस्यों में से नाम से, किया जाएगा।

(5) परिषद् के सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन या नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

(6) जब तक कि पूर्वगामी उप–धाराओं के उपबन्धों के अनुसार परिषद् स्थापित और गठित नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार, [2]{निदेशक, चिकित्सा शिक्षा}, हिमाचल प्रदेश, सहित आठ सदस्यों से, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, एक परिषद् गठित कर सकेगी और इस प्रकार गठित परिषद्, इस अधिनियम के प्रारम्भ से और ऐसे प्रारम्भ से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित और गठित समझी जाएगी तथा उप–धारा (3) और (4) के उपबन्ध ऐसी परिषद् को लागू होंगे।

4. **सदस्यों का निर्वाचन.**– धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसी रीति में जो नियमों या विनियमों द्वारा विहित की जाएं, किया जाएगा और जहां ऐसे किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो इसे राज्य सरकार को, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा, निर्दिष्ट किया आएगा।

---

1. 2002 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा शब्द "निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं" के लिए प्रतिस्थापित किए गए।
2. 2002 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा शब्द "निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं" के लिए प्रतिस्थापित किए गए।

5. **सदस्यों की पदावधि.**—(1) धारा 3 और इस धारा से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अपने पदाभिधान से नियुक्त सदस्य से भिन्न परिषद् के सदस्य को पदावधि पांच वर्ष होगी और यह उस तारीख से आरम्भ होगी, जिसको, यथास्थिति, ऐसे सदस्य की नियुक्ति या निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(2) पदाभिधान से नियुक्त सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य, ऐसे सदस्य के स्थान पर जिसने किसी भी कारण अपना पद अपनी पदावधि से पहले ही रिक्त कर दिया हो, नियुक्त और निर्वाचित होता है तो वह उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या निर्वाचित किया गया है।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पदावरोही सदस्य, जब तक राज्य सरकार अन्यथा कोई निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन या नियुक्ति अधिसूचित नहीं की जाती है।

(4) पदावरोही सदस्य, यदि वह अन्यथा अर्हित है, तो वह पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा।

(5) पदाभिधान से नियुक्त परिषद् के सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी, जब तक वह ऐसे सदस्य के रूप में पद धारित करता है।

6. **रिक्तियां.**— यह समझा जाएगा कि परिषद् के सदस्य ने अपना स्थान रिक्त कर दिया है,—

(क) यदि वह परिषद् के अध्यक्ष को अपना त्याग—पत्र प्रस्तुत कर देता है; या

(ख) यदि परिषद् की राय में, वह बिना किसी पर्याप्त हेतुक के परिषद् की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(ग) यदि वह लगातार एक वर्ष से अधिक समय के लिए भारत से बाहर अनुपस्थित रहता है; या

(घ) यदि, धारा 3 की उप—धारा (2) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य के मामले में यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत नर्स, रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटर या रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईफ अथवा रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ नहीं रहती है; या

(ङ) यदि वह कार्य करने से इन्कार करता है या परिषद् की राय में, कार्य करने के अयोग्य हो जाता है; या वह शोधनअक्षम या दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा किसी ऐसे अपराध के लिए दोष—सिद्ध किया गया हो, या किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन हो, जो परिषद् की राय में ऐसी चरित्र त्रुटि के रूप में विवक्षित हुआ हो, जो कि उसे सदस्य होने के लिए अयोग्य बनाता है।

7. **सदस्य का हटाया जाना.**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय, ऐसे कारणों से जिसे यह लोकहित को प्रभावित करता हो या समझती हो, या परिषद् के सदस्यों का दो—तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, राजपत्र अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उस किसी भी विनिर्दिष्ट सदस्य का स्थान, चाहे वह निर्वाचित या नियुक्त है अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को रिक्त हो जाएगा और तदुपरि ऐसा स्थान तदानुसार रिक्त हो जाएगा।

8. **आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी.**—परिषद् में कोई आकस्मिक रिक्ति, जो कि विनिर्दिष्ट प्रवर्ग पर निर्भर करते हुए जिसकी ऐसी रिक्ति अंग है, यथास्थिति नए निर्वाचन या नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी ।

9. **रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.**— इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि, —

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाहियों में कोई त्रुटि या अनियमितता है जो मामले के गुणागुणः पर अभाव नहीं डालती है।

10. **निरर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नही होगा,—

(क) जो अवयस्क है या अनुनमोचित दिवालिया है; या

(ख) जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ग) जिसे आपराधिक—न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।

11. **उपाध्यक्ष की पदावधि.**— (1) परिषद् के उपाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष होगी; किन्तु यह अवधि परिषद् के सदस्य के रूप में उसकी अवधि के अवसान के बाद नहीं रहेगी।

(2) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से त्याग—पत्र दे सकेगा और परिषद् द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर पद रिक्त हो जाएगा।

(3) जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। तो अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के पद की शेष पदावधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है या उसके सदस्य के रूप में शेष पदावधि के लिए, जो भी कम हो, निर्वाचित किया आएगा।

12. **परिषद् की बैठक का समय और स्थान.**— परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसी रीति में बुलाई जाएगी जैसे विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएः

परन्तु जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते है, तब तक प्रत्येक सदस्य के लिए विधिपूर्ण होगा कि प्रत्येक सदस्य को लिखित पत्र द्वारा ऐसे समय और स्थानः पर जैसा वह समीचीन समझे परिषद् की बैठक बुलाए।

13. **गणपूर्ति.**— परिषद् की बैठक की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या या अनुपात समय—समय पर विनियमों द्वारा नियत किया जा सकेगा किन्तु बैठक की ऐसी गणपूर्ति पांच से कम नही होगीः

परन्तु, यदि परिषद् की किसी बैठक में गणपूति पूर्ण न हो, तो अध्यक्ष वैठक स्थगित कर देगा और काम—काज जो ऐसी बैठक के समक्ष रखा जाना या, स्थगन के पश्चात् बैठक के समक्ष चाहे उस बैठक में गणपूति हो या न हो संव्यवहार के लिए रखा जाएगा।

14. **परिषद् की बैठकों में कार्यवाहियां.**— (1) परिषद् का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, या दोनों की अनुपस्थिति में परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) परिषद् की बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगाः

परन्तु मत बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

15. **रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति.**—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार नियक्त करेगी, जो तब तक कोषाध्यक्ष का कार्य भी करेगा, जब तक कि परिषद् किसी अन्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं करती और वह ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा की ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएंः

परन्तु जब तक कि रजिस्ट्रार इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाता, राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, नियुक्त व्यक्ति ही रजिस्ट्रार समझा जाएगा, जो ऐसे वेतन और भत्ते का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

(2) परिषद ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे कर्मचारी ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे तथा जेवा की ऐसी सर्तों के अध्यधीन होंगे जो विहित की जाएं।

(3) परिषद् के सभी कर्मचारी, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार भी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

16. **रजिस्ट्रार के कर्तव्य.**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों और परिषद् के किसी साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन, रजिस्टर रखना और परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा।

(2) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर रखेगा और समय—समय पर इस रजिस्टर में दर्ज ऐसी नर्सों, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफों, नर्स दाई और सहायक नर्स मिडवाईफों, प्रशिक्षित दाई या दाईयों के नाम और पतों में सभी आवश्यक परिवर्तन करेगा और मृत व्यक्ति के नाम को हटाएगा।

(3) उप—धारा (2) द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन करने में रजिस्ट्रार को समर्थ बनाने में, नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, नर्स दाई, सहायक नर्स मिडवाईफ या प्रशिक्षित दाई या दाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को, उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर इस जांच के प्रयोजनों के लिए कि क्या उसने व्यवसाय बन्द कर दिया है या क्या उसका आवास या पता वदल गया है, वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रीकृत पत्र भेज सकेगा और यदि ऐसा पत्र भेजने के छः मास की अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति का नाम सम्वन्धित रजिस्टर से हटा सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन हटाया गया कोई नाम, इस निमित्त किए गए किसी अभ्यावेदन पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर जो परिषद् द्वारा, या यदि परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील की गई है तो धारा 19 के अधीन गठित समिति के निदेशों में, विहित की जाए, पुनः दर्ज किया जाएगा।

(4) यदि परिषद् का समाधान हो जाता है कि कोई प्रविष्टि रजिस्टर में कपटतापूर्वक या गलत दर्ज की गई है तो परिषद के प्रस्ताव के अनुसरण में वह हटा दी जाएगी या ठीक कर दी जाएगी।

17. **विनियम बनाने की शक्ति.**— (1) परिषद्, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबन्ध करने के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगी, अर्थात :—

(क) इसकी बैठकों का स्थान और समय;

(ख) वह रीति जिसमें बैठक की सूचना दी जाएगी;

(ग) बैठक में कारबार का संचालन, उसकी कार्यवाहियों का अभिलेख और बैठक का स्थगन।

(घ) बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए सावश्यक गणपूति;

(ङ) किसी विषय से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए समिति की नियुक्ति और गठन जिसे निपटाने के लिए परिषद् सशक्त है तथा किसी विशेष विषय में परामर्श देने के लिए विशेष रूप से अर्हित व्यक्तियों के सहयोग;

(च) परिषद् की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को यात्रा भत्ते और फीस का संदाय;

(छ) सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा और प्रयोजन जिनके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।

(ज) ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त धन के लिए परिषद् की ओर से रसीद दी जायगी ; और

(झ) अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, कार्यकारी, शक्तियां, अवकाश, निलम्बन और उनका हटाया जाना और ऐसे व्यक्तियों को वेतन और भत्ते का संदाय।

(2) इस धारा की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन बनाया गया कोई नियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसकी पुष्टि नहीं कर दी जाती और राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता।

अध्याय–3

नर्सों, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफों और नर्स दाई, सहायक नर्स मिडवाईफ, प्रशिक्षित दाई और दाईयों का रजिस्ट्रीकरण।

18. **नर्सों, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफों और नर्स दाई, सहायक नर्स मिडवाईफ, प्रशिक्षित दाई और दाईयों का रजिस्ट्रीकरण.**– (1) प्रत्येक व्यक्ति जो परिषद द्वारा यथा विहित शर्तों का अनुपालन करता है, तथा–

(क) जिसने आवश्यक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण ले रखा हो या नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई और दाईयों के लिए विहित परीक्षा, यदि कोई हो, उतीर्ण की हो; या

(ख) किसी संगम से, जो नर्स परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है, हैल्थ विजिटर या मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; या

(ग) परिषद् का यह समाधान कराने में समर्थ है कि भारत में कहीं से भी उसने खण्ड (क) में निर्दिष्ट और परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण और परीक्षा की तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है या परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है; या

(घ) दाई के रूप में हिमाचल प्रदेश में पहले से नियोजित है या व्यवसाय कर रही है या नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक दाई, नर्स मिडवाइफ, नर्स दाई के रूप में इस अधिनियम के प्राराम्भ पर कार्य कर रही है;

रजिस्ट्रार को अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करने की लिए आवेदन कर सकेगा/सकेगीः

परन्तुः खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक यह इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के भीतर प्राप्त न हुआ हो।

(2) (क) यदि यह समाधान हो जाता है कि उप–धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन आवेदन करने वाली कोई नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्से मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई रजिस्ट्रीकृत किए जाने की हकदार है, तो रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, ऐसी नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई का नाम विहित रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(ख) यदि यह. समाधान हो जाता है कि उप–धारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के अधीन आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो रजिस्ट्रार इस सिफारिश के साथ, कि उसे ऐसे व्यक्ति का नाम विहित रजिस्टर में दर्ज करने की अनुमति दी जाए, आवेदन को परिषद् के समक्ष रखेगा, और ऐसे व्यक्ति के बारे में विहित रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं करेगा जब तक कि परिषद् द्वारा प्रविष्टि करना अनुज्ञात नहीं कर दिया जाता;

परन्तु,—

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त करने पर, जिसके बारे में रजिस्ट्रार का विचार है कि परिषद् खण्ड (ii) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहेगी, तो वह उक्त आवेदन परिषद् को या धारा 19 में निर्दिष्ट किसी समिति को, निर्दिष्ट कर सकेगा और जब तक परिषद् द्वारा प्रविष्टि करने की अनुमति नहीं दी जाती है ऐसे व्यक्ति के बारे में रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी;

(ii) परिषद् किसी व्यक्ति का जो ऐसे किसी अपराध, जिससे परिषद् की राय में, चरित्र की कोई त्रुटि विवक्षित होती है जो उसे कर्तव्य के लिए अयोग्य बना देती है या जो ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, परिषद् की बैठक में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों के. बहुमत से परिषद् द्वारा वृत्तिक अवचार या गर्हित आचरण का दोषी पाया गया है या संतोषप्रद वृत्तिक अर्हता न रखता हो, रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगी; और

(iii) परिषद्, किसी भी समय, किन्हीं कारणों के लिए, जिन कारणों से वह एसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को इन्कार कर सकती है, जांच के पश्चात् जिसमें ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया गया हो, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को चेतावनी या उसका नाम हटाने का निर्देश दे सकेगी;

परन्तु यह और कि परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील घारा 19 के अधीन गठित समिति को की जा सकगी यदि ऐसी अपील रजिस्ट्रीकृत नोटिस, जिसमें दर्शाया गया हो कि परिषद् ने रजिस्ट्रीकरण से इन्कार कर दिया है, की प्राप्ति के एक मास के भीतर या समय के भीटर अपील न करने का पर्याप्त कारण बताने पर, अपील करने के लिए बढ़ाई गई अवधि के भीतर की जाती है।

(2) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः मास के भीतर उप–धारा (1) के अधीन उप–विधियां बनाने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई के रूप में ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र के भीतर व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी और कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो ऐसी अधिसूचना के उल्लंघन में व्यवसाय कर रहा है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पंचास रुपए से अनधिक जुर्माने और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

(3) परिषद् अपना यह समाधान करने पर कि समय बीत जाने के कारण या अन्यथा उक्त उप–धारा में उल्लिखित निर्योग्यता का कोई प्रभाव नहीं रहा है यह निदेश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध उप–धारा (2) के परन्तुक के अधीन, आदेश पारित किया गया है, दर्ज किया जाए।

(4) यदि रजिस्ट्रार का समाधान नहीं होता है कि वह व्यक्ति जिसने उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो वह आवेदन रद्द कर देगाः

परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे रद्दकरण के विरुद्ध अपील परिषद् को होगी यदि ऐसी अपील, आवेदक द्वारा आदेश प्राप्त किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है।

(5) उप–धारा (2) के प्रथम परन्तुक के अधीन जांच के या उप–धारा (4) के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए परिषद् भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थान्तर्गत न्यायालय समझी जाएगी और लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के अधीन आयुक्त की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी जांच या अपील, जहां तक हो सके, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) की धारा 5 और धाराएं 8 से 20 के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी; परन्तु उपर्युक्त अधिनियमों की कोई बात, परिषद् को जांच या किसी अपील की सुनवाई बन्द कमरे में करने से निवारित नहीं करेगी।

19. **परिषद की समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन.**– परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि, धारा 18 के अधीन इस द्वारा सुनी जाने वाली अपील या संचालित की जाने वाली जांच परिषद् के ऐसे सदस्यों से गठित परिषद् समिति द्वारा जैसे यह निदेश दे, सुनी या संचालित की जाएगी ।

20. **रजिस्टर रखना.**– रजिस्ट्रार निम्नलिखित रजिस्टर रखेगाः–

(क) हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक नर्स का नाम और पता दर्शाने वाला रजिस्टर;

(ख) हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक हैल्थ विजिटर का नाम व पता दर्शाने वाला रजिस्टर;

(ग) हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक मिडवाईफ का नाम व पता दर्शाने वाला रजिस्टर;

(घ) हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सहायक नर्स मिडवाईफ का नाम व पता दर्शाने वाला रजिस्टर;

(ङ) हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक नर्स दाई का नाम व पता दर्शाने वाला रजिस्टर; और

(च) हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक प्रशिक्षित दाई या दाई का नाम व पता दर्शाने वाला रजिस्टर।

21. **नर्स, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, और दाईयों की वार्षिक सूची.**—(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार, परिषद् द्वारा इस निमित्त नियत की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व, तत्समय रजिस्टर में दर्ज नामों की सही सूची निम्नलिखित बताते हुए मुद्रित और प्रकाशित करवाएगाः—

(क) क्रमिक रजिस्टर में वर्ण क्रमानुसार दर्ज नाम;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है, का रजिस्ट्रीकृत पता; और

(ग) प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत अर्हताएं और तारीख जब ऐसी अहंताएं प्रमाणित की गई थीं।

(2) प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जिस व्यक्ति का नाम ऐसी सूचियों की सबसे अन्तिम सूची में दर्ज है, वह इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है और कि जिस व्यक्ति का नाम इस प्रकार से दर्ज नहीं है वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है:

परन्तु, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसका नाम किन्ही ऐसी सूचियों में नहीं है, रजिस्टर में ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति इस बात का कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है निश्चायक साक्ष्य होगीः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तात्पर्यित प्रमाण–पत्र जिस में दर्शित है कि व्यक्ति का नाम ऐसे रजिस्टर से हटा दिया गया है और उसमें ऐसे नाम हटाए जाने की तारीख अंकित कर दी है, ऐसे हटाए जाने की तारीख, ऐसे तथ्य और हटाए जाने की तारीख का निश्चायक सबूत होगा।

22. **अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.**–(1) कोई स्थानीय प्राधिकरण, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नर्स, हैल्य विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई के रूप में, अपने प्राधिकार के अधीन क्षेत्र के भीतर, व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए उप–विधि बना सकेगी और ऐसी उप–विधि में यह उपबन्ध कर सकेगी कि कोई व्यक्ति जो ऐसी उप–विधियों के उल्लंधन में व्यवसाय कर रहा है या प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी किन्हीं उप–विधियों का भंग कर रहा है या किसी को भंग करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा, यह प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए [1]{दस हजार} रुपए से अनाधिक जुर्माने और द्वितीय तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए [2]{बीस हजार} रुपए से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

(2) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर उपधारा (1) के अधीन उप–विधियां बनाने में असफल रहता है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाई या प्रशिक्षित दाई या दाई के रूप में, ऐसे स्थानीय प्राधिकार के अध्यधीन, क्षेत्र के भीतर व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध करेगी और ऐसी अधिसूचना के उल्लंघन में व्यवसाय करने वाला कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए [3]{दस हजार} रुपए से अनधिक जुर्माने और द्वितीय तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए [4]{बीस हजार} रुपए से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति, नियम, उप–विधि या विधि के अन्य उपबन्धों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत नर्स, रजिस्ट्रीकृत हैल्थ नर्स मिडवाईफ, रजिस्ट्रीकृत विजिटर, रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ, रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईफ नर्स दाई, रजिस्ट्रीकृत प्रशिक्षित दाईयां, दाई से भिन्न कोई व्यक्ति, कोई नियुक्ति धारण करने के लिए सक्षम होगा या इस रूप में किसी अस्पताल, आश्रम, रुग्णालय, औषद्यालय, नर्सिग होम, प्रसूति गृह, स्वास्थ्य केन्द्र या ऐसी अन्य संस्था, प्राइवेट या सार्वजनिक, चाहे, वह ऐच्छिक अंशदान से समर्थित हो या नहीं, नियोजित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईफों, रजिस्ट्रीकृत प्रशिक्षित दाई या दाईयों के लिए वर्दी और बैज पहनना विहित करने;

———————————

1. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 द्वारा शब्द "पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

2. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 द्वारा शब्द "दो सौ पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

3. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 द्वारा शब्द "पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

4. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 द्वारा शब्द "दो सौ पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

23. **उप–विधि बनाने की शक्ति.**–परिषद् पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित के लिए उप–विधि बना सकेगी,–

(क) नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिडवाईफ, नर्स दाईयों या प्रशिक्षित दाई या दाईयों के प्रशिक्षण के लिए पाठयक्रम और इनके रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं विहित करने और ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम संस्थानों की मान्यता के लिए उपबन्ध करने;

(ख) प्रमाण–पत्र जारी करने, रजिस्टर रखने और ऐसे रजिस्टरों में व्यक्तियों के नाम ग्रहण करने की शर्ते विनियमित करना और ऐसे ग्रहण के लिए आवेदन प्ररूप विहित करने और डियूटि के समय रजिस्ट्रीकृत नर्सों, रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटरों, रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफों,

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस विहित करने और रजिस्टरों से हटाए गए नामों को पुनः दर्ज करने;

(घ) रजिस्ट्रीकृत नर्सों, रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटरों, रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफों, रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईफों, रजिस्ट्रीकृत नर्स दाईयों, रजिस्ट्रीकृत प्रशिक्षित दाई या दाईयों के नामों की सूची प्रकाशन को विनियमित करने;

(ङ) नर्सों, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफों, सहायक नर्स मिडवाइफों, नर्स दाईयों, प्रशिक्षित दाई या दाईयों की परीक्षा के संचालन को विनियमित करने तथा परीक्षा के लिए फीस विहित करने;

(च) डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज यह कथित या अन्तर्हित करते हुए प्रदत्त, प्रदान करने या जारी करने कि उसका धारक प्राप्तिकर्ता या प्रापक नर्स, हैल्थ विजिटर, मिडवाईफ, सहायक नर्स मिड–वाईफ, नर्स दाई, प्रशिक्षित दाई या दाई के रूप में व्यवसाय करने या अन्यथा कार्य करने के लिए अर्हित है।

(छ) नर्सों, हैल्थ विजिटरों, मिडवाईफों, सहायक नर्स मिडवाईफों, नर्स दाईयों, प्रशिक्षित दाईयों या दाइयों के लिए प्रशिक्षण स्कूलों के रूप में मान्यताप्राप्त संस्थानों की सहबद्धता के लिए फीसों को मापमान विहित करने;

(ज) परिषद् द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त परीक्षक, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों की फीस, पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते का मापमान विहित करने;

(झ) परिषद् के प्रकाशनों की कीमत विहित करने; और

(ञ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने।

24. **उप–विधि की पुष्टि और प्रकाशन.**–(1) धारा 22 या धारा 23 के अधीन बनाई गई उप–विधि तब तक प्रवृत्त नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इनकी पुष्टि नहीं कर दी जाती है और राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जाती है।

(2) राज्य सरकार, किसी ऐसी उप–विधि की पुष्टि को रद्द कर सकेगी और तदपरि उप–विधि प्रभावहीन हो जाएगी।

25. **इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा.**– इस अधिनियन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा गठित समिति या रजिस्ट्रार द्वारा की गई किसी कार्रवाई को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

26. **इस अधिनियम के उपबन्धों से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाथियों को छूट.**–इस अधिनियम की कोई बात, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को लागू नहीं होगी।

27. **आदेशों या रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रतियां जारी करने की फीस.**–राज्य सरकार, परिषद्, परिषद् द्वारा गठित समिति या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन रखे गए रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतियों का प्रदाय ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

28. **परिषद् द्वारा प्राप्त फीस का उपयोजन.**– इस अधिनियम के अधीन फीस के रूप में परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त धन विहित रीति में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा।

29. **बेईमानी से प्रमाणपत्रों आदि के उपयोग के लिए शास्ति.**– कोई व्यक्ति जो,–

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का बेईमानी से उपयोग करता है; या

(ख) कोई मिथ्या या कपटपूर्ण, घोषणा, प्रमाण–पत्र, या अभ्यावेदन चाहे वह लिखित हो या अन्यथा या प्रस्तुत करवाकर या प्रस्तुत करके इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखे गए रजिस्टरों या जारी किए गए प्रमाणपत्र से सम्बधित किसी विषय में जान बूझकर कोई मिथ्याकरण करता है या करवाता है; प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा दोष–सिद्धि पर, जुर्माने से जो [1]{पच्चीस हजार} रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

————————

1. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 द्वारा शब्द "तीन सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

30. **विधि विरूद्व रजिस्ट्रीकृत नर्स, हैल्थ विजिटर, सहायक नर्स मिडवााईफ,नर्से दाई, प्रशिक्षत दाई या दाई पदनाम् धारण करने के लिए शास्ति.**–कोई व्यक्ति जो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत नर्स, या रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटर, या रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ या रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईक, या रजिस्ट्रीकृत नर्स दाई, या रजिस्ट्रीकृत प्रशिक्षित दाई, या दाई न होते हुए, या विवक्षित करते हुए कोई नाम, पदनाम अभिवर्णन, विवरण या नामपट्ट धारण करता है कि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है या किसी रीति में परीक्षाओं का संचालन विनियमित करता है, अथवा उस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में यथा–उपबन्धित से सिवाय, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदत्त या प्रदान करता है दोषसिद्धि पर, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा [1]{प्रथम अपराध की दशा में दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने और द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से या दोनों में से किसी भान्ति के दो वर्ष के कारावास} से, दण्डनीय होगा।

31. **अधिनियम के अधीन अभियोजन का वर्जन.**– (1) कोई भी न्यायालय, परिषद् की पूर्व मंजूरी से किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन परिवाद, जिला के भीतर जहां परिषद का कार्यालय अवस्थित है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को सौंपा जाएगा।

32. **अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.**–राज्य सरकार, समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को किसी प्रविष्टि में परिवर्धन, संशोधन, फेरबदल या विखंडन कर सकेगी।

33. **नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.**–(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी,–

(क) धारा 3 के अधीन निर्वाचन विनियमित करने;

———————————

1. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 द्वारा शब्द "प्रथम अपराध की दशा में दो सौ पचास रुपए से अनधिक जुर्माने और द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने या दोनों में से किसी भान्ति के छह मास के कारावास" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

(ख) धारा 20 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टरों का प्ररूप विहित करने;

(ग) रजिस्ट्रीकृत नर्स, रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटर, रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ, रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईफ, रजिस्ट्रीकृत नर्स दाई, या रजिस्ट्रीकृत प्रशिक्षित दाई या दाईयों के व्यवसाय को सम्यक सीमाओं में विनियमित या निर्बन्धित करने;

(घ) परिषद् द्वारा निम्नलिखित में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने;

(i) ऐसे रजिस्टर से हटाए गए व्यक्ति के नाम को रजिस्टर में पुनः दर्ज करने में और किसी रजिस्ट्रीकृत नर्स, रजिस्ट्रीकृत हैल्थ विजिटर, रजिस्ट्रीकृत मिडवाईफ, रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स मिडवाईफ, रजिस्ट्रीकृत नर्स दाई, रजिस्ट्रीकृत प्रशिक्षित दाई या रजिस्ट्रीकृत दाई के प्रति पारित व्यवसाय के निलम्बन के किसी आदेश को वापस लेने में; और

(ii) धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चयों से अपीलों को निपटाने में;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत फीस और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद् द्वारा प्राप्त करने; और अन्य धन के उपयोजन को विनियमित करने; और

(च) राज्य सरकार, या परिषद् या रजिस्ट्रार अथवा परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए फीस विहित करने।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र में जिसमें वह ऐसे रखा गया है है, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

34. **निरसन और व्यावृत्तियां**.– (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाव नर्सज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1932 (1932 का 1) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,–

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या तदधीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियमिति के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) यथापूर्वोक्त, ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति, समपहरण, या दण्ड के बारे में कोई अन्वेषण, विधिक कार्य–वाही या उपचार; और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी, या प्रवतित किया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

(2) उप–धारा (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, की गई कोई बात या कार्रवाई (की गई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, और जारी की गई अधिसूचना, आदेश, अनुदेश या निदेश, विरचित नियम या विनियम या विहित प्ररूप भी इस के अन्तर्गत है) जहां तक वह इस अधिनियम से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तदनुसार प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती है।

अनुसूची

[धारा 3 की उप–धारा (2) का खण्ड (ख) देखे]

1. उप–निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश।
2. निदेशक, प्रधानाचार्य, हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला।
3. उप–सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग), हिमाचल प्रदेश।
4. चिकित्सा अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य अस्पताल, शिमला।
5. नर्सिंग प्रशासन में प्रशिक्षित मैट्रन।
6. वरिष्ठ नर्सिंग शिक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य अस्पताल, शिमला।
7. नर्सिंग अधीक्षक, लेडी रीडिंग अस्पताल, शिमला।
8. हैल्थ विजिटर प्रशिक्षण विद्यालय का प्रभारी अधीक्षक।
9. हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. अवैतनिक सचिव प्रशिक्षित नर्स संगठन, हिमाचल प्रदेश शाखा।
11. नर्सिंग शिक्षण और प्रशासन में अनुभवी व्यक्ति।